संख्या: 454/ XVII-5 / 2016–09(64) / 2008

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0,
नियर सब एरिया कैन्टीन,
गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 02 मई, 2016

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–157 / XVII-3 / 11–09(63) / 06, दिनांक 23 मई 2011 एवं शासनादेश संख्या–599 / XVII-3 / 11–09(63) / 06, दिनांक 15 जून 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्राविधान हैं को सम्यक विचारोपरान्त अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति हेतु निम्न प्राविधान लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) **संविदा सेवाः–** उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को संविदा पर प्रारम्भ में तीन वर्ष हेतु नियुक्त किया जाएगा, जिसे संतोषजनक होने की दशा में शासन द्वारा अधिकतम 03 वर्ष हेतु अथवा 65 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु इन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को किसी भी दशा में दूसरी पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) संविदा सेवा हेतु अर्हताः–

1. प्रबन्ध निदेशक हेतुः–

अनिवार्य

(अ) ऐसा अधिकारी जो कि सेना से ब्रिगेडियर अथवा नौसेना / वायुसेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ब) नियुक्ति वर्ष के प्रथम जनवरी को आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

(स) सेवानिवृत्ति के उपरान्त जनसेवा से सम्बद्ध किसी संगठन में उच्चतम स्तरीय प्रबन्धकीय कार्यों का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो।

वांछनीय

(अ) आधुनिक वित्तीय प्रबन्धन, कम्पनी/श्रम/सेवा व आय कर/कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों का पूर्णतः ज्ञान हो।

(ब) सशस्त्र सेनाओं में कल्याण, भर्ती व प्रशिक्षण एवं पुनर्नियुक्ति से जुड़े उच्च पदों पर नियुक्त रहे हों।

(स) पर्वतीय मार्गों में अत्यधिक यात्राओं हेतु सक्षम हों।

2. महाप्रबन्धक हेतुः–

(अ) ऐसा अधिकारी जो कि सेना से कर्नल अथवा नौसेना/वायुसेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ब) नियुक्ति वर्ष के प्रथम जनवरी को आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

3. उप महाप्रबन्धक हेतुः–

(अ) ऐसा अधिकारी जो कि सेना से कर्नल/ले0कर्नल/मेजर अथवा नौसेना/वायुसेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ब) नियुक्ति वर्ष के प्रथम जनवरी को आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

4. क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी हेतुः–

(अ) ऐसा अधिकारी जो कि सेना से ले0कर्नल एवं उससे निम्न अथवा नौसेना/वायु सेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ब) नियुक्ति वर्ष के प्रथम जनवरी को आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

(ग) संविदा सेवा हेतु चयन प्रक्रियाः–

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपरोक्तानुसार (प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक) रिक्तियों की सूचना शासन को तीन माह पूर्व प्रेषित की जाएगी। तदोपरान्त डी0जी0आर0/विज्ञप्ति के माध्यम से अर्ह अभ्यर्थियों की नामावली प्राप्त करते हुए निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से चयन किया जाएगाः–

(I) प्रबन्ध निदेशक हेतुः–

अध्यक्ष – मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य – प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य – प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य – प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य – पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी/प्रतिनिधि।

(ii) महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक हेतुः–

अध्यक्ष –	प्रमुख सचिव / सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य –	अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य –	अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य –	अपर सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य –	अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून।
सदस्य –	पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी / प्रतिनिधि।

(घ) अधिकतम आयु सीमाः–

उपरोक्तानुसार समस्त पदों (प्रबन्ध निदेशक, महाप्रन्बन्धक / उपमहाप्रबन्धक एवं क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी) पर नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष होगा।

(ड़) अन्यः–

सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की अन्य सेवा शर्तें एवं सुविधाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली, पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की जायेंगी।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 454(1) / XVII-5 / 2016–09(64) / 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमायूं मण्डल, पौडी / नैनीताल।
4– सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली।
5– सचिव, पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।